कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा–स / 22200 / वो.–2 / 2023 दिनांक .07.2023

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा।

विषय :– मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 100 / 2023 की पालना सभी राजकीय विद्यालयों में करवाने बाबत्।

प्रसंग :– शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर का पत्र क्रमांक : प.34(2)शिक्षा–1 / 2023 / जयपुर, दिनांक : 13.07.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक : 30.06.2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद् / मंत्रिमण्डल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से लिए गए निर्णय के अन्तर्गत आज्ञा संख्या 100 / 2023 की पालना सभी राजकीय विद्यालयों में करवाने के संबंध में "भारत के संविधान के महत्व को बच्चों और युवाओं तक प्रचारित करने हेतु राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भारत के संविधान में अंकित "उद्देशिका (Preamble) एवं मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)" को परिसर में लिखवाये जाने तथा प्रत्येक शनिवार इस पर चर्चा करने एवं भविष्य में प्रकाशित होने वाली पाठ्यपुस्तकों में इन्हें स्थान देने के संबंध में निर्णय" बाबत् अग्रांकित 04 बिन्दुओं की पालना तुरन्त प्रभाव से करने हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. सभी राजकीय विद्यालयों में राज्य स्तर से प्राप्त होने वाले Sheet/Board "उद्देशिका (Preamble) एवं मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)" उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
2. प्रत्येक शनिवार प्रार्थना सभा में इन दोनों का पाठन विभिन्न कक्षाओं के अलग–अलग विद्यार्थियों से क्रमवार करवाया जावें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिले।
3. सभी विद्यालयों में सम्बद्ध अध्यापक यह सुनिश्चित करें कि इसका अर्थ बच्चों को आसान तथा स्थानीय भाषा में समझायें और उन्हें इन दोनों की पालना करते हुए अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देवें।
4. 15 अगस्त, 2023 को मुख्य समारोह के साथ–साथ इसको विद्यालयों के समस्त विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक रूप से इन दोनों महत्वपूर्ण बातों को बोलने का कार्य सम्पादित किया जायेगा। इसकी तैयारी अच्छे से प्रारम्भ करें।

उपर्युक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना करवाया जानाा सुनिश्चित करें।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.07.14 17:09:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4281828

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीया स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल स्कूल, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को उक्त कार्य के प्रभावी प्रबोधन बाबत्।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—माध्यमिक को पालनार्थ।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाते बाबत।
7. समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.07.14 1[illegible]:09:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4281828

राजस्थान सरकार

कार्यालय शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांकः प.34(2)शिक्षा–1/2023/ जयपुर, दिनांकः 13.07.2023

:: आदेश ::

विषयः मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 100/2023 की पालना सभी राजकीय विद्यालयों में करवाने बाबत्।

"मंत्रिमण्डल की आज्ञा 100/2023 दिनांक 30 जून, 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद्/मंत्रिमण्डल की बैठक में माननीय मंख्यमंत्री महोदय की अनुमति से अनौपचारिक रूप से विचार–विमर्श कर भारत के संविधान के महत्व को बच्चों और युवाओं तक प्रचारित करने हेतु राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भारत के संविधान में अंकित **"उद्देशिका (Preamble)"** एवं **"मौलिक कर्त्तव्य (Fundamental Duties)"** को परिसर में लिखवाया जाना तथा प्रत्येक शनिवार इस पर चर्चा करना व भविष्य में प्रकाशित होने वाली पाठ्यपुस्तकों में इन्हें स्थान देने का निर्णय लिया गया है" की पालना में सभी राजकीय विद्यालयों में निम्नलिखित कार्य तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भ किये जावें:–

1. सभी राजकीय विद्यालयों में राज्य स्तर से प्राप्त होने वाले Sheet/Board **"उद्देशिका (Preamble)"** एवं **"मौलिक कर्त्तव्य (Fundamental Duties)"** उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
2. प्रत्येक शनिवार प्रार्थना सभा में इन दोनों का पाठन विभिन्न कक्षाओं के अलग–अलग विधार्थियों से क्रमवार करवाया जावें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिलें।
3. सभी विद्यालयों में सम्बद्व अध्यापक यह सुनिश्चित करे कि इसका अर्थ बच्चों को आसान तथा स्थानीय भाषा में समझाये और उन्हें इन दोनों की पालना करते हुए अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दें।
4. 15 अगस्त, 2023 को मुख्य समारोह के साथ–साथ इसको विद्यालयों के समस्त विधार्थियों द्वारा सामुहिक रूप से इन दोनों महत्वपूर्ण बातों को बोलने का कार्य सम्पादित किया जायेगा। इसकी तैयारी अच्छे से प्रारम्भ करें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(नवीन जैन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, मा.स्कूल शिक्षा मंत्री/मा. स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं मंत्रीमण्डल सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान को भेजकर लेख है कि इस आज्ञा को सभी विद्यालयों तक पहुँचाकर, इसकी पावती प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव